तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 06/2017

विनोद बनाम विनय वगैरह

दिनांक–07.11.2025

अधिवक्ता वादीगण श्री प्रमोद कुमार मोदी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री राजेश गोस्वामी व श्री आरिफ खोखर उपस्थित। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते शेष साक्ष्य प्रतिवादी बंद करने हेतु उभयपक्ष को सुना गया।

बहस के दौरान वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि साक्ष्य प्रतिवादी के लिये कई अवसर लेने के बावजूद केवल प्रतिवादी संख्या 15 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अन्य कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है जबकि साक्ष्य शपथ पत्र पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। अतः हस्तगत आवेदन को स्वीकार करते हुए शेष साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की जावे।

उपर्युक्त तर्को के खण्डन में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा तर्क दिया गया कि प्रतिवादीगण बॉम्बे में निवास करते हैं तथा इसी कारण सबके शपथ पत्र एकसाथ पेश नहीं किये जा सके हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.10.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य सूची पेश की जा चुकी है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य सूची पेश की जा चुकी है तथा यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य हेतु पत्रावली प्रतिदिन नियत होने से अनेक अवसर लिये जा चुके हैं किन्तु साथ ही प्रतिवादीगण के बॉम्बे में निवास करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर न्यायहित में साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया जाना उचित नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र वास्ते शेष साक्ष्य प्रतिवादी बंद करने हेतु अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा साक्षी आदित्य पौद्दार के बीमार होने के दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली दिनांक 10.11.2025 को नियत की जाती है। प्रतिवादीगण द्वारा आवश्यक रूप से अपने साक्षियों को उपस्थित रखा जावे।

07.11.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.